कार्यालय, लोकपाल मनरेगा, मुजफ्फरपुर।

परिवाद संख्या– 126/15 तिथि–22.09.2016

विपुल कुमार एवं अन्य चार बनाम कार्य0पदा0,पारू एवं अन्य

उपस्थित –श्री रमेन्द्र नाथ राय (लोकपाल)

निर्णय

परिवादी श्री विपुल कुमार एवं अन्य चार द्वारा दिनांक–08.04.2015 को एक परिवाद दायर किया गया जिसमें कटारू पंचायत में वर्ष 2008 से 08.04.2012 तक मनरेगा एवं अन्य योजनाओं में हो रहे सरकारी कोष के लूट के संबंध में शिकायत की गयी है। साथ ही उल्लेख किया गया है कि आज भी यह कार्य कनीय अभियंता, कार्यक्रम पदाधिकारी के सहयोग एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी के संरक्षण में जारी है। घपले–घोटाले का ज्ञात श्रोतों से प्राप्त संक्षिप्त विवरण बिन्दुवार प्रस्तुत किया गया है जो निम्नलिखित है :–

01. आम जनता को किसी भी कार्य योजना की जानकारी न होने पाये इसलिए जान बुझकर किसी भी कार्य स्थल पर सूचना पट्ट नहीं लगाया गया है जबकि यह नियमानुसार आवश्यक है।

02. (a) मृत व्यक्तियों को भी मनरेगा योजना में कार्यरत मज़दूर दिखलाकर उसके नाम पर राशि निकासी की जाती रही है जैसे–(क) स्व0 रामचन्द्र महतो, पिता–विशुन महतो, इनकी मृत्यु वर्ष 2008 में हो गयी। (ख) स्व0 पुकार महतो, पिता–स्व0 विशुन महतो इनकी मृत्यु वर्ष 2001 में हो गयी। (ग) स्व0 मुकेश महतो, पिता–स्व0 ठुनपमुन महतो इनकी मृत्यु वर्ष 2009 में हो गयी। सभी ग्रामीण कटारू के निवासी है। विस्तृत जाँच होने पर ऐसे काफी नाम सामने आएँगे।

(b) ऐसे व्यक्तियों को भी मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूर दिखलाकर राशि निकाली गई है जो 10 वर्षो से भी अधिक समय से बैंगलोर, मुम्बई, असम और कोलकत्ता आदि शहरों में काम करते हैं, जैसे–राजकुमार महतो, पिता–स्व0 रामचन्द्र महतो, खलिल मियाँ, पिता–स्व0 इनिफ मियाँ और इन्द्रासन महतो, पिता–स्व0 जगलाल महतो आदि यह सभी ग्रामीण कटारू के निवासी है।

(c) ऐसे व्यक्तियों को भी मनरेगा योजना में कार्यरत मजदूर दिखलाकर राशि निकाली जा रही है जो स्वयं 5–10 मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार देने में सक्ष्म हैं। जैसे–ओम् प्रकाश सिंह मो0–9973308864, मधुशंकर, सीताराम सिंह एवं पूर्व एस0डी0ओ0 सिंचाई विभाग, यह सभी ग्राम छाप के निवासी है। रामयश राय मो0–9631520879, रौशन कुमार मो0–993124782 ग्राम कटारू आदि। जाँच किए जाने पर काफी जॉब कार्ड एवं नाम जाली मिलेगा।

03. सुमन कुमार, अशोक कुमार दुबे एवं श्री निवास सिंह सभी ग्राम कटारू के निजी जमीन में खुद के द्वारा वर्षो पहले निर्मित पोखरा एवं अन्य कार्य को मनरेगा योजना के द्वारा किया गया कार्य दर्शाकर पूरी राशि का गबन कर लिया गया है।

04. चन्देश्वर सिंह, ग्राम कटारू के पूर्व से निर्मित पोखर से 50–60 ट्रैक्टर मिट्टी निकाल कर कटारू ब्रह्मस्थान पर 15 ट्रैक्टर डाला गया और कुछ बी0पी0एल0 परिवार के दरवाजे पर 2–2 ट्रैक्टर मिट्टी डालकर अलग–अलग योजना जैसे–1. कटारू ब्रह्मस्थान परिसर में मिट्टी भरांई कार्य। 2. चन्देश्वर सिंह के निजी जमीन में पोखर उड़ाही कार्य। 3. बी0पी0एल0 परिवार के दरवाजे पर मिट्टी भराई कार्य आदि। खोलकर सभी योजनाओं पर पूरी राशि का निकासी कर ली गई।

05. ग्राम जगरनाथपुर नगवाँ में बाजार से पूर्व मुख्य सड़क के किनारे नाला निर्माण कार्य में नाला के चीचे एवं नाला के दीवार के ऊपर ढ़लाई का प्रावधान है। ढ़लाई कार्य बिलकुल ही नहीं कर के सभी पैसा का बंदर–बांट कर लिया गया है।

06. ग्राम कोठवारा चौक से दक्षिण की ओर जानेवाली सड़क में पी0सी0सी0 कार्य एवं रामबालक राय के घर के पूर्व भोला राय के घर तक जानेवाली सड़क में पी0सी0सी0 कार्य दोनों सड़कों में 3–4 इंच ढ़लाई किया गया है और पूरा पैसा का गबन कर लिया गया है।

07. 1. छाप चौक से कटारू कन्या विद्यालय होते हुए मदन छपड़ा जानेवाली सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य। 02. ग्राम कटारू श्याम दुबे के घर से दक्षिण हरूनी राम के घर होते हुए सलाहपुर जानेवाली सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य। 03. छाप चौक से कोटवारा चौक के तरफ जानेवाली सड़क के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य। 04. कटारू चौक से सुकुल राम के घर से होते हुए अगरैल चौर तक जानेवाला जल निकासी नाला के दोनों तरफ वृक्षारोपण कार्य एवं अन्य ग्रामीण छोटे–छोटे सड़कों के नाम पर भी योजना खोल कर राशि की निकासी की गई है। स्थल पर वृक्षारोपण कार्य हुआ ही नहीं है।

08. पंचायत कटारू के प्रा0 वि0 कटारू दुबे टोला, प्रा0 वि0 छाप, मुशहर, उ0म0वि0, कटारू कन्या, म0 वि0 छाप के प्रांगण में मनरेगा योजना के तहत मिट्टी भराई कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य दर्शाकर काफी बड़ी राशि की निकासी की गई है। जबकि किसी स्थल पर वृक्षारोपण किया ही नहीं गया। स्थल पर 10–15 पौधा भी नजर नहीं आते।

09. 01. कटारू दुबे टोला ब्रह्मस्थान से प्रा0वि0 को जानेवाली सड़क में मिट्टी भराई एवं सोलिंग कार्य 02. मुकुन सिंह के घर से वशिष्ठ सिंह के घर तक जानेवाली सड़क में मिट्टी भराई एवं सोलिंग कार्य । 03. दिनेश्वर पटेल के घर से सरीखन मांझी के घर तक जानेवाली सड़क में मिट्टी भराई एंव सोलिंग कार्य। सभी सड़कों में 10–15 ट्रैक्टर मिट्टी डालकर पूरी योजना की राशि की निकासी कर ली गई।

10. (01) विपुल सिंह के द्वारा आर0टी0आई0 के तहत मांगी गयी सूचना में 31 मार्च 2010 से 31 मार्च 2012 तक 10000 पौधा को खरीद की जानकारी दी गई है और उसका 84000 का भुगतान एन0ई0एफ0टी0 द्वारा माँ भगवती नर्सरी को और 71000 का भुगतान अंसारी नर्सरी को किया गया बताया गया है। (02) 31 मार्च 2010 के पहले और 31 मार्च 2012 के बाद की अवधि में पौधों की खरीद की जानकारी नहीं दी गई है। जबकि उस अवधि में भी वृक्षारोपण कार्य के नाम पर राशि की निकासी की जा रही है। (03) एक यूनिट पौधा रापेण कार्य में 200 पौधे रोपने और उस कार्य का 3.80 लाख का भुगतान दर्शाया गया है। यानि सिर्फ 10000 पौधे पर एक करोड़ नब्बे लाख रु0 का भुगतान जबकि स्थल पर वृक्ष नदारद है। क्या हम ऐसे ही कार्य के लिए सरकार को कर देते है।

उपरोक्त परिवाद के संबंध में दिनांक–08.04.2015 को कार्यक्रम पदाधिकारी, पारू, मुखिया, कटारू एवं पंचायत रोजगार सेवक, कटारू को साक्ष्य सहित सुनवाई में उपस्थित होने हेतु नोटिस की गयी। दिनांक–21.07.2015 को मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में उनके पति उपस्थित हुए एवं परिवाद की छायाप्रति की मांग की जिसे उन्हें तत्काल हस्तगत करा दिया गया।

कार्यक्रम पदाधिकारी, पारू द्वारा पत्रांक–126 दिनांक–10.09.2015 द्वारा प्रतिवेदन समर्पित की गयी । इसमें उन्होने बताया है कि उनके द्वारा परिवादी विपुल कुमार एवं अन्य के द्वारा दायर परिवाद के आलोक में ग्राम पंचायत राज–कटारू के अंतर्गत चलाए गए योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गयी। जाँच के क्रम में उन्होंने पाया कि पंचायत के मनरेगा का सम्पूर्ण अभिलेखों का प्रभार तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री मनोज कामती के द्वारा अपने प्रतिस्थानी को नहीं दिया गया है। योजना अभिलेख में भुगतान से संबंधित एड्भाईस नहीं होने के कारण मजदूरों के भुगतान संबंधित शिकायत की जाँच नहीं की जा सकी है। पुनः कार्यक्रम पदाधिकारी, पारू ने अपने पत्रांक–83 दिनांक–09.08.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री मनोज कामती पर वित्तीय अनियमितता के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी

है। जिसका थाना कांड सं0–168/2014 है। साथ ही अभिकरण के ज्ञापांक–2402 दिनांक–18.06.2014 द्वारा श्री कामती की संविदा रद्द की जा चुकी है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि श्री कामती एवं मुखिया के द्वारा स्वयं के नाम लगभग 10 लाख रु0 का नकद निकासी किया गया है जो मनरेगा के प्रावधानों के प्रतिकूल है तथा वित्तीय अनियमितता का द्योतक है। परिवाद से संबंधित शिकायत तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक श्री कामती के कार्यकाल का है।

–: विचारणीय बिन्दु :–

(1) क्या मृत व्यक्तियों को भी मनरेगा योजना में कार्यरत दिखाकर उनके नाम पर राशि की निकासी की गई है ?

(2) क्या जाली जॉब कार्ड दूसरों के नाम से बनाए गए ?

(3) क्या आवेदन के कंडिका (5) (6) (7) और (9) में दर्शाए गए काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से किए गए?

(4) क्या वृक्षारोपण में कार्य के नाम पर राशि की निकासी की गई है जबकि पौधे नहीं लगाए गए है ?

–: निष्कर्ष :–

चूँकि इस वाद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है जिसकी सूचना कार्यक्रम पदाधिकारी, पारू ने अपने पत्रांक–88 दिनांक–02.07.2014 (पारू थाना कांड सं0–168/14) द्वारा दिया है। अतः पुनः इसमें प्राथमिकी दर्ज कराने का अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश देना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है। किन्तु इस अभ्यावेदन में कुछ नई बातें बताई गई है जैसे–खाता खोलकर कंडिका (2) के द्वारा यह बताया गया है कि उनकी गैर जानकारी में उनके नाम का खाता खोलकर उसमें पैसा भेजकर और फिर पैसा निकासी कर लिया गया है जो प्रथम द्रष्ट्या उपलब्ध साक्ष्य पुकार महतो के मृत्यु प्रमाण–पत्र तथा राजकुमार महतो के शपथ पत्र से साबित होता है।

चूँकि इस तरह से संबंधित एक अन्य मामले परिवाद सं0–59/14 (ज्ञापांक–31 दिनांक–24.03.2015) में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेश पारित की जा चुकी है। इसलिए पुनः अलग से आदेश पारित किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता है।

–: आदेश :–

01. इस संदर्भ में प्रभावित व्यक्ति जाँच रिपोर्ट के आधार पर चाहे तो प्राथमिकी अथवा न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर कार्रवाई कर सकते हैं।
02. अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में पारित आदेश (परिवाद सं0–59/14 ज्ञापांक–31 दिनांक–24.03.2015) पर कार्रवाई तीव्र की जाए।

ह0/

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 37 / मुज0,दिनांक– 22/09/2016

प्रतिलिपि :– सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, मुज0 को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश की प्रति को जिले के वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा की जाए।
प्रतिलिपि :– संबंधित आवेदक को सूचनार्थ प्रेषित।

22.9.16

लोकपाल(मनरेगा),
मुजफ्फरपुर।

D/DRDA/Damodar/Lokpal app...